

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर द्वारा चयनित प्रधानाध्यापक-रामावि एवं समकक्ष को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/पीएससी/2013, दिनांक:- 18.08.2017 एवं 21.02.2018 द्वारा वेतन श्रृंखला पी.बी.-3(15600-39100) ग्रेड वेतन-5400 पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक:- एफ-1(2) / डीओपी/ ए-2 /2005 दिनांक 20.01.2006, पं.(8)कार्मिक/क-2/03 दिनांक:-09.06.03 एवं एफ. 12(6) एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार आशार्थियों को प्रधानाध्यापक-रामावि समकक्ष के पद पर दो वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति किया गया था। उक्त कार्मिकों में से निम्नांकित कार्मिकों द्वारा प्रधानाध्यापक-रामावि एवं समकक्ष की परीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 2017 के नियम 17 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ.1(2)एफडी(रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक:- 22.05.09, 11.06.14 एवं 17.08.14 के उल्लिखितानुसार उनके नाम के सामने (स्थाईकरण तिथि कॉलम) अंकित दिनांक से नियमित वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-14 में वेतन निर्धारण करने की स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त उक्त तिथि से राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम-31 के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक-रामावि समकक्ष के पद पर स्थायी किया जाता है:-

क्र. सं.	मेरिट न0	वर्ग	नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	कार्यग्रहण दिनांक	स्थायीकरण दिनांक
1	2070ए	OBC WD	कृष्णा कुमारी	रामावि सीतारामपुरी, आमेर रोड जयपुर	05.06.1961	28.09.2017	29.09.2019
2	आर-29	OBC	मुकेश कुमार धाकड	रामावि, रटाजना- निम्बाहेडा, चित्तौड	15.02.1983	26.02.2018	27.02.2020

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/पीएससी-13/स्थायीकरण/2020/ दिनांक:- 15/07.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सभाग मुख्यालय,
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
- 03- संबंधित संस्था-प्रधान/कार्यालयध्यक्ष।
- 04- प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 04- संबंधित कार्मिक।
- 05- अनुभागाधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/सी-ओएसी प्रभाग
- 06- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)